

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-6/ज02-10204/14- 2317

पटना, दिनांक- 26/8/15

सेवा में,
महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषय- राज्य योजना अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई के तहत टेलवा बाजार ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 143.914 लाख (एक करोड़ तेतालीस लाख एकानबे हजार चार सौ रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25.00 लाख रूपये के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- राज्य योजना अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई के तहत टेलवा बाजार ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 143.914 लाख (एक करोड़ तेतालीस लाख एकानबे हजार चार सौ रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25.00 लाख रूपये के व्यय हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के परिचालन एवं रख-रखाव में स्थानीय पंचायत की सहभागिता से की जाएगी।
3. इस योजना पर होनेवाले व्यय योजना बजट शीर्ष 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-102 ग्रामीण जल पूर्ति- माँग संख्या -36 -उप शीर्ष -0330- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- विपत्र कोड-P4215011020330- पी0एफ0एम0एस0 कोड-9150- विषय शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई होंगे। राशि की निकासी कोषागार, जमुई से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।
5. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
7. योजना एवं गैर-योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम4-53/2007- 96 वि0 (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।
8. इस योजना हेतु वर्ष 2015-16 के योजना बजट में प्रावधान है।
9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0- यथोपरि।

2

विश्वासमाजन
100
(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव

ज्ञापक- 2317
प्रतिलिपि-

पटना, दिनांक- 26/8/15

E-mail

1. अनु० सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/ कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, जमुई /कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु० सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो०)/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०)/निदेशक (पी०एम०यू०)/निदेशक (सी०सी०डी०यू०)/उप निदेशक, (मूल्यांकन/सहायक अभियंता (मो०) (दो-प्रतियों-में)/सहायक अभियंता (मू०)/प्रशाखा-4 एवं प्रशाखा-6/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई०टी० मैनेजर/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु० सहित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर; अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, मुंगेर; कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०- यथोपरि।

8

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव